

(180)

परिशिष्ट - xiv 171

वन विभाग

वित्तिय

10 फरवरी 1978

संख्या 1115/14-331-50 उत्तर प्रदेश के राज्यांत वित्तिय
 मा है कि इण्डियन कोरेल्ट एक्ट 1927 (एक्ट नं 16, 1927) की धारा-29 की
 उपधारा - 131 के अधीन अधिष्ठित जॉय तथा अधिष्ठित करने में इतना उचित है
 कि इस सीर राज्य सरकार के अधिकारों को कमरा हो सकता है :
 अतः उपर्युक्त उपधारा के प्रत्येक धारा द्वारा उक्त अधिनियम 1927
 की धारा-80-र के तहत प्रदत्त उक्त धारा को उपधारा 1115 की धारा-क
 अधिनियमों का प्रयोग करते उत्तर प्रदेश के राज्यांत स्वीकृत हो सकते हैं :
 कि इस प्रकार जॉय तथा अधिष्ठित करने तक उक्त अधिनियम - 1927 के अधिनियम
 संगत अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे :

अनुसूची
 नं 1115/14-331-50

क्रमांक	जिला	नाम, तहसील	दूरी, सीमा, जमीन और फीटों में	विस्तार
50	1	2	3	4
1-	मेरठ	x	x	
2-	मुजफ्फरगढ़	x		
x		x	x	
21-	पीलीभीत	1- चरेली-पीलीभीत न्यौरिया रोड	29 मील 6 फीट 10 इंच तक	
		2- पीलीभीत-जहानाबाद	2 मील से 6 मील 2 फीट तक रोड	
		3- बीरपुर-पिपलड रोड	गन्ध 10 मील 3 फीट 330 फीट	
		4- पीलीभीत-गजनीला	गन्ध से 2 फीट 340 फीट तक	
		5- पीलीभीत-बीरपुर रोड	22 फीट 3 फीट तक	
		6- डाटीया-इनकट रोड	4 मील 4 फीट तक	

Signature

प्रभागीय निदेशक
 सा0वा0प्रभाग, पीलीभीत

शील कृष्ण धवन / Sheel Krishan Dhawan
 वरिष्ठ प्रबंध (रिटेल सेल) / Sr. Manager (Retail Sales)
 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (एम. डी.)
 Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
 35-ए, कमला नेहरू मार्ग/35-A, Kamla Nehru Marg
 बरेली-243001 (उ.प्र.)/Bareilly-243001 (U.P.)